



2026:AHC:30241

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2771/2026

शोभ नाथ शुक्ला

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : नरेन्द्र कुमार पाठक

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. याची ने इससे पूर्व जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 414 / 2025 के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया था, जिसे दिनांक 27.02.2025 के आदेश द्वारा निस्तारित किया गया था। आदेश इस प्रकार है:-

"1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. वर्तमान जनहित याचिका निम्नलिखित राहत हेतु दायर की गई है:

"1. एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वे याची द्वारा दिए गए आवेदन दिनांक 24.10.2024 पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करें।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 26.10.2023 के बावजूद, उसे मौके पर प्रभावी नहीं किया गया है।

4. राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के आदेश के क्रियान्वयन हेतु जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत भूखंड के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश 26.10.2023 को पारित किया जा चुका है।

7. उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा संख्या 460 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 की कार्यवाही में पारित आदेश के अनुपालन/निष्पादन का प्रावधान किया गया है।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान जनहित याचिका इस टिप्पणी के साथ निस्तारित की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के आदेश के निष्पादन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है।"

2. उपरोक्त के अनुपालन में, याची द्वारा दिनांक 21.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किंतु चूंकि कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए याची ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

3. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने तर्क दिया कि तहसीलदार, तहसील केराकत प्रतिवादी संख्या 2, जनपद जौनपुर उक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

4. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका याची को यह अनुमति देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.02.2025 की छायाप्रति और प्रत्यावेदन दिनांक 21.03.2025 की प्रति संलग्न करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, तहसीलदार, तहसील केराकत, जनपद जौनपुर के समक्ष आज से तीन सप्ताह के भीतर एक नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि याची द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसा प्रत्यावेदन दिया जाता है, तो तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें और प्रत्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः छह सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से उचित आदेश पारित करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"